भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-152

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

***152. श्री जुगुल किशोरः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य में, विशेषकर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में ग्राम-विद्युतीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधियों के दौरान इस हेतु राज्य में अब तक क्रमशः स्वीकृत और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 14.12.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 152 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश, में अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) बहुल क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश, के लिए दिसम्बर, 2014 में 43,033 करोड़ रूपए की कुल लागत से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), शुरू की है। पूर्व की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दी गई हैं।

दिनांक 30.11.2015 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 28,549 विद्युतीकृत न किए गए गाँवों का विद्युतीकरण और 11,631 विद्युतीकृत गाँवों का सघन विद्युतीकरण पूरा कर दिया गया है और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 13,48,458 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

(ग) : 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान, 30.11.2015 की स्थिति के अनुसार पूर्व की आरजीजीवीवाई सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के लिए 18662.05 करोड़ रूपए की कुल लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के हासिल लक्ष्यों के लिए 4072.49 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1681

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन के बंटवारे से संबंधित समझौते पर
उच्चतम न्यायालय की राय

1681. श्री अश्क अली टाकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आनंदपुर साहिब हाइडल परियोजना, मुकेरियां हाइडल परियोजना, थीन डैम परियोजना, यूबीडीसी (स्टेज-II), शाहपुर काण्डी परियोजना की विद्युत उत्पादन के बंटवारे के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की राय लेने हेतु कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मामला न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : दिनांक 10.05.1984 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों और भारत सरकार के बीच एक करार हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि हरियाणा और राजस्थान द्वारा आनंदपुर साहिब हाइडल परियोजना, मुकेरिया हाइडल परियोजना, थीन डैम परियोजना, यूबीडीसी चरण-II, शाहपुर काण्डी हाइडल योजना के विद्युत में हिस्से के दावे को देखते हुए भारत सरकार इस मामले पर अपनी राय देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से इस आशय पर राय मांगी गई थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य को इन जल विद्युत स्कीमों से उत्पादित विद्युत में अपने हिस्से के हकदार हैं और यदि वे हकदार हैं, तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या होगा।

तथापि, इसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 29-30 जुलाई, 1992 तथा 6 अगस्त, 1992 को हुई चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को न भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य आपसी परामर्श से एक युक्तिसंगत करार करेंगे। सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का समाधान करने की दृष्टि से कई औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं की गईं। तथापि, स्टेक होल्डर राज्यों के अलग-अलग विचार होने के कारण अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी। इस समय यह मामला मूल वाद सं. 2009 के 3 में माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1683

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का दावा

1683. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जैसा कि हाल ही में 4 नवम्बर, 2015 को विश्व आर्थिक फोरम की हाल की बैठक में यह बताया गया कि भारत अब अपनी आवश्यकता से ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, इस दावे के मद्देनजर क्या सरकार इस बात को मानेगी कि आम उपभोक्ता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कमी की अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है, और यदि हां, तो इस विरोधाभास के संबंध में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है;

(ख) विद्युत का उपभोग उसकी उपलब्धता से हमेशा कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अपनी नई योजना, 'उदय' से अपेक्षा रखती है कि इसके अन्तर्गत राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के घाटे के लिए औपचारिक रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य में विद्युत की मांग राज्य के अपने स्रोतों से उत्पादन**,** केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के हिस्से और उदार व्यवस्था अथवा विद्युत एक्सचेजों आदि के तहत खरीदी गई विद्युत से पूरी की जाती है। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत संयंत्र स्थापित करके और राज्यों को उनकी विद्युत आबंटित करके राज्य सरकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए इस समय उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। तथापि कुछ राज्यों में विद्युत की कमी के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

i. राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति।

ii. राज्यों में उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां।

iii. गैस की अपर्याप्त उपलब्धता।

iv. पारेषण और वितरण संबंधी कठिनाइयां।

(ग) और (घ) : डिस्कॉमों की वित्तीय देयताएं मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की देयताएँ हैं क्योंकि डिस्कॉम राज्य स्वामित्व की यूटिलिटियां हैं। भारत सरकार द्वारा 20.11.2015 को शुरू की गई उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) की परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से डिस्कॉम ऋणों के 75**%** ऋण ले लेंगे। भावी हानियों**,** यदि कोई हो**,** को भी ग्रेडिड तरीके से लिए जाने का प्रावधान है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1684

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

पीजीसीआईएल द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

1684. श्री तपन कुमार सेनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य सरकारों की परियोजनाओं सहित पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय पारेषण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और विद्युत उत्पादन संयंत्रों के संस्थापनों में देरी के कारण विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क): पीजीसीआईएल द्वारा लगभग 30,000 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों और 93,000 एमवीए की अंतरण क्षमता सहित लगभग 87,000 करोड़ रूपए मूल्य की अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली सहित पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के लिए अंतरराज्य पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मंजूर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) से (घ): भूमि अधिग्रहण तथा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विलम्ब के कारण विलम्बित प्रमुख पारेषण परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में है।

भूमि अधिग्रहण में आने वाले कठिनाइयों को राज्य सरकारों सहित सभी संबंधितों की सहायता से दूर किया जा रहा है। पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विभिन्न स्तरों पर की जाती है और उत्पादन परियोजनाओं के अनुरूप पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को भी संबद्ध उत्पादन यूटिलिटियों के साथ समन्वित किया जा रहा है।

****

अनुबंध

राज्यसभा में दिनांक 14.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1684 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्पादन परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के मामलों के कारण विलम्बित प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा			
क्र.सं.	**1. ट्रांस लाइन का नाम**	**परियोजना लागत करोड़ रूपए**	**राज्य (राज्यों) के नाम**
I)	**विलम्बित उत्पादन परियोजनाएं**		
1	पूर्वोत्तर/उत्तरी पश्चिमी इन्टर कनेक्टर-**I** परियोजना (लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना और कंमेग जल विद्युत परियोजना के लिए निकासी प्रणाली सहित)	13763	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश
2	झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में चरण-**I** उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली	558	झारखण्ड तथा बिहार
3	झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में चरण-**I** उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली-**भाग-क**-1	2423	झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार तथा उत्तर प्रदेश
	झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में चरण-**I** उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली-**भाग-क**-2	3201	उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा
4	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड से सं**बद्ध साझा** प्रणाली। श्रीकाकुलम में एलटीओए उत्पादन परियोजनाएं भाग-(क)	1909	आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा
	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड से सं**बद्ध साझा** प्रणाली। श्रीकाकुलम **क्षेत्र** में एलटीओए उत्पादन परियोजनाएं भाग-(ख)	2515	उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़
	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड से सं**बद्ध साझा** प्रणाली। श्रीकाकुलम में एलटीओए उत्पादन परियोजनाएं भाग-(ग)	514	आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा
5	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड की सम्बद्धता के लिए पारेषण प्रणाली	552	गुजरात
6	पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र भाग पूलिंग स्टेशन के विकास के लिए पारेषण प्रणाली और भूटान के उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र तक विद्युत का **अं**तरण	4405	असम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल
II)	**विलम्बित भूमि अधिग्रहण**		
7	छत्तीसगढ़ में आईपी**पी** परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र-उत्तरी क्षेत्र एचवीडीसी इन्टरकनेक्टर	9570	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब
	छत्तीसगढ़-ख में आईपी**पी** उत्पादन परियोजनाओं के लिए चम्पा और रायगढ़ (तमनार के समीप) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना	1962	छत्तीसगढ़
8	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XVII	509	कर्नाटक तथा महाराष्ट्र

9	सिक्किम में उत्पादन परियोजना से एनआर/डब्ल्यूआर भाग (क) **के** विद्युत के **अं**तरण के लिए पारेषण प्रणाली	250	बिहार तथा पश्चिम बंगाल
10	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-III	1273	बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा
11	सिक्किम में उत्पादन परियोजना से एनआर/डब्ल्यूआर भाग (ख) **के** विद्युत के **अं**तरण के लिए पारेषण प्रणाली	1585	सिक्किम तथा बिहार

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1685

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

घाटे में चल रही बिजली कंपनियों के लिए सुधार पैकेज

1685. श्री टी. रतिनावेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रही बिजली कंपनियों के लिए एक सुधार पैकेज अनुमोदित किया है, जिसके तहत दबाव में चल रही वितरण कंपनियों पर बकाया लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का 75 प्रतिशत अंश को राज्यों के कर्ज में अंतरित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 2019 तक वितरण कंपनियों के घाटे को समाप्त करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने के लिए 20 नवंबर, 2015 को उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) योजना शुरू की है। इस योजना में यह परिकल्पना है कि राज्य 30 सितंबर, 2015 की तिथि के अनुसार डिस्काम ऋण का 75% दो वर्षों के लिए लेंगे डिस्काम ऋण का 50% वित्तीय वर्ष 2015-16 में और शेष 25% वित्त वर्ष 2016-17 में लेंगे।

(ग) और (घ): उदय का उद्देश्य ब्याज का भार, विद्युत की लागत और एटी एंड सी हानियां कम करना है। इस योजना में आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और वसूल किए गए औसत राजस्व (एआरआर) के अंतर को कम करके 2018-19 तक शून्य करना भी अपेक्षित है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1686

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत (संशोधन) विधेयक का विरोध

1686. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के इंजीनियरों तथा कर्मचारियों द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक के प्रावधानों का विरोध किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी चिंताओं के बारे में पता लगाया है और उन्हें दूर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी**,** हाँ। सरकार विद्युत **(**संशोधन**)** विधेयक, 2014 के प्रावधानों के संबंध में विद्युत वितरण यूटिलिटियों के इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से अवगत है। कैरिज और कंटेंट के पृथक्करण के प्रावधानों के संबंध में प्रमुख चिंता का राज्यों को **पर्याप्त** लचीलेपन के साथ क्रमिक रूप में कार्यान्वित करने का विकल्प देते हुए समाधान किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1687

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

1687. श्रीमती रजनी पाटिलः

श्री रामदास अठावलेः

श्री किरनमय नन्दाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2012 से 2014 के बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इन राज्यों को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विगत और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शीर्ष-वार कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 के बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत हैः-

	मिलियन यूनिट में उत्पादन		**(मिलियन यूनिट) में वृद्धि**
	2011-12	**2014-15**	
महाराष्ट्र	**93391.74**	**107309.2**	**13917.47**
उत्तर प्रदेश	**97007.5**	**111901.7**	**14894.24**
पश्चिम बंगाल	**46108.54**	**49742.02**	**3633.48**

(ख) और (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित क्रियाकलाप है और कोई भी उत्पादक कम्पनी उत्पादन स्टेशन की स्थापना कर सकती है। उत्पादन परियोजना(ओं) की स्थापना के लिए निधियों की व्यवस्था परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की जाती हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1688

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर

1688. श्री के. रहमान खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा अन्तर कितना है;

(ख) इस अन्तर को पाटने के लिए विचाराधीन कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2019 की समाप्ति तक तैयार हो जाने वाली निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : बिजली की कमी 2011-12 में 8.5% से घटकर वर्तमान वर्ष अर्थात 2015-16 (अक्टूबर, 2015 तक) में 2.4% हो गई है जो कि अब तक की सबसे कम कमी है। इसके अतिरिक्त, व्यस्ततम कमी 2011-12 में 10.6% से घटकर वर्तमान वर्ष अर्थात 2015-16 (अक्टूबर, 2015 तक) के दौरान 3.2% हो गई है जो कि अब तक की सबसे कम कमी भी है।

(ख) : इस अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः

i. 12वीं योजना के दौरान अर्थात 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट परम्परागत और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसके लिए दिनांक 7.12.2015 तक परम्परागत स्रोतों से लगभग 70,480 मेगावाट और दिनांक 31.10.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 13,204 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
ii. 12वीं योजना के दौरान अर्थात 2016-17 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए अन्तरण क्षमता की स्थापना की गई है। इसके लिए नवम्बर, 2015 तक

76,490 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है तथा 2,19,730 एमवीए अन्तरण क्षमता हासिल की गई है।

iii. राज्यों के साथ भागीदारी में भारत सरकार ने सभी के लिए चौबीसो घण्टे विद्युत (पीपीए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।

iv. पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने और लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए भारत सरकार द्वारा दो नई स्कीमें नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

v. ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य माँग पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्धन।

vi. केन्द्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालन एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए दिनांक 20.11.2015 को एक नई स्कीम नामतः उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

vii. उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुगम बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा।

viii. स्ट्रैण्डिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता उपलब्ध कराना।

(ग) : निर्माणाधीन वे विद्युत परियोजनाएं, जिनके 2019 के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है, लगभग 86,363 मेगावाट क्षमता की हैं जिसमें थर्मल से 72,326 मेगावाट, हाइड्रो से 9,737 मेगावाट और न्यूक्लीयर स्रोतों से 4,300 मेगावाट शामिल है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1689

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड का संचित घाटा

1689. श्री राजकुमार धूतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य राज्य विद्युत बोर्डों के संचित घाटे की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार देश के राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) की तुलनपत्र के अनुसार संचित हानियां 5,947 करोड़ रूपये हैं। यूटिलिटी-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

(ख) : भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउंड हेतु 20.11.2015 को एक योजना उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) शुरू की है। इसमें ब्याज के बोझ, विद्युत की लागत और एटीएंडसी हानियों में कटौती करने की परिकल्पना की गई है। डिस्कॉम और प्रतिभागी राज्य सहमत कार्य योजना के अनुसार प्रचालनात्मक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता करेंगे।

****

अनुबंध

राज्यसभा में दिनांक 14.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1689 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

तुलन पत्र के अनुसार संचित लाभ/(हानि)

करोड़ रु.

क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**2013-14**
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी	
		एनबीपीडीसीएल	(714)
		एसबीपीडीसीएल	(1,410)
	बिहार कुल		**(2,125)**
	झारखण्ड	जेएसईबी	(13,468)
	झारखण्ड कुल		**(13,468)**
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	0
	सिक्किम कुल		**0**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	(126)
	पश्चिम बंगाल कुल		**(126)**
	ओडिशा	एनईएससीओ	(955)
		एसईएससीओ	(815)
		डब्ल्यूईएससीओ	(805)
		सीईएसयू	(2,058)
	ओडिशा कुल		**(4,633)**
पूर्वी कुल			**(20,352)**

उत्तर पूर्वी	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	(2,038)
	अरुणाचल प्रदेश कुल		**(2,038)**
	असम	एपीडीसीएल	(2,408)
	असम कुल		**(2,408)**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(2,269)
	मणिपुर कुल		**(2,269)**
	मेघालय	एमईईसीएल	
		एमईपीडीसीएल	(573)
	मेघालय कुल		**(573)**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(1,236)
	मिजोरम कुल		**(1,236)**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(1,552)
	नागालैंड कुल		**(1,552)**
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	(753)
	त्रिपुरा कुल		**(753)**
उत्तर पूर्वी कुल			**(10,829)**

उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	255
		बीएसईएस यमुना	231
		टीपीडीडीएल	1,757
	दिल्ली कुल		**2,242**
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(10,286)
		यूएचबीवीएनएल	(13,894)
	हरियाणा कुल		**(24,180)**
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	(1,813)
	हिमाचल प्रदेश कुल		**(1,813)**
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	(22,284)
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		**(22,284)**
	पंजाब	पीएसपीसीएल	(1,660)
	पंजाब कुल		**(1,660)**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(23,251)
		जेडीवीवीएनएल	(22,590)
		जेवीवीएनएल	(23,097)
	राजस्थान कुल		**(68,938)**
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(19,183)
		केईएससीओ	(3,321)
		एमवीवीएन	(11,733)
		पश् वीवीएन	(10,754)
		पूर्व वीवीएन	(15,110)
	उत्तर प्रदेश कुल		**(60,102)**
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	(1,695)
	उत्तराखण्ड कुल		**(1,695)**
उत्तरी कुल			**(178,430)**

दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	(8,641)
		एपीईपीडीसीएल	(1,694)
		एपीएनपीडीसीएल	(3,545)
		एपीएसपीडीसीएल	(4,931)
	आंध्र प्रदेश कुल		**(18,812)**
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	(589)
		सीएचईएससीओएम	(682)
		जीईएससीओएम	(311)
		एचईएससीओएम	(1,220)
		एमईएससीओएम	72
	कर्नाटक कुल		**(2,731)**
	केरल	केएसईबी	

		केएसईबीएल	(33)
	केरल कुल		**(33)**
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	(445)
	पुडुचेरी कुल		**(445)**
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	(52,466)
	तमिलनाडु कुल		**(52,466)**
दक्षिणी कुल			**(74,486)**

पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	(4,017)
	छत्तीसगढ़ कुल		**(4,017)**
	गोआ	गोआ पीडी	368
	गोआ कुल		**368**
	गुजरात	डीजीवीसीएल	273
		एमजीवीसीएल	159
		पीजीवीसीएल	84
		यूजीवीसीएल	63
	गुजरात कुल		**579**
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(8,673)
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	(7,734)
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	(8,824)
	मध्य प्रदेश कुल		**(25,231)**
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	(5,947)
	महाराष्ट्र कुल		**(5,947)**
पश्चिमी कुल			**(34,249)**
सकल योग			**(318,345)**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े हानि दर्शाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1690

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए अध्ययन

1690. डॉ. कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कोयला आधारित संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के कोयला आधारित संयंत्र विश्व में सर्वाधिक पानी की खपत करते हैं और क्या भारत के कोयला आधारित संयंत्र विश्व में सर्वाधिक अक्षम हो; और

(घ) क्या देश के ताप संयंत्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फलाई एश के खपत के मानकों का पालन कर रहे है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी**,** नहीं। तथापि भारत सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित यूनिटों की संस्थापना जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार**,** विद्युत उत्पादन का प्रति यूनिट कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन 2009-10 में 1.07 टन कार्बन डाई ऑक्साइड/एमडब्ल्यूएच से घटकर 2013-14 में 1.03 टन कार्बन डाई ऑक्साइड/एमडब्ल्यूएच हो गया है।

(ग): ताप विद्युत स्टेशनों की दक्षता वातावरण परिस्थितियों जैसे परिवेश की हवा और कूलिंग वाटर तापमान तथा कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों में भारतीय कोयले के उच्च राखांश तथा परिवेशी उच्च तापमान परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में खपत योग्य पानी की आवश्यकता होती है। संयंत्र के खपत योग्य पानी में कई तथ्यों जैसे कच्चे पानी की गुणवत्ता, कंडेन्सर कूलिंग सिस्टम किस्म, कोयले की गुणवत्ता, राख उपयोग, राख निपटान प्रणाली की किस्म, अपशिष्ट जल प्रबंधन पहलुओं इत्यादि द्वारा शासित किया जाता है।

तथापि, भारत की तुलना में अन्य देशों में ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता की तुलना से संबंधित विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश के 145 कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीएस) से एकत्र की गई सूचना के आधार पर वर्ष 2014-15 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) की दिनांक 3 नवंबर, 2009 की अधिसूचना में निर्धारित फ्लाई ऐश के उपयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैः

क्र.सं.	**विवरण**	**ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	उन ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या जो एमओईएफएण्डसीसी की दिनांक 3 नवंबर, 2009 की अधिसूचना के अनुसार, फ्लाई ऐश के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं।	50
2	उन ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या जो एमओईएफएण्डसीसी की दिनांक 3 नवंबर, 2009 की अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं।	89
3	उन ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या जिन्होंने कोई अधिक फ्लाई ऐश अथवा फ्लाई ऐश सृजित नहीं की है।	6
	कुल	**145**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1691

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1691. श्रीमती अम्बिका सोनीः
डॉ. टी सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वित्तपोषित विकास/कल्याण योजनाओं की संख्या का उद्यम-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) किस प्रकार की योजनाओं का वित्त पोषण किया गया, लाभार्थियों के नाम क्या हैं, किन-किन जगहों पर इस तरह के कार्यकलाप किए गए और विगत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसके लिए आबंटित निधियों का उद्यम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी), पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) के संबंध में गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वित्त पोषित की गई स्कीमों के प्रकार, लाभार्थी, स्थानों जहां इस प्रकार की गतिविधियां की गई हैं और निधियों का आबंटन किया गया है, से संबंधित सूचना सहित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसई) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का उपक्रमवार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I से VIII** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	**2013-14**	126.12	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि।	स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वच्छता, जल, सड़क, अन्य अवसंरचना और प्रकाश व्यवस्था, कौशल विकास /व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता, ग्रामीण खेल-कूद एवं संस्कृति, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता आदि के क्षेत्रों में गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। एनटीपीसी की परियोजनाओं/स्टेशनों के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	**2014-15**	283.48		
3	**2015-16**	349.65		

****

अनुबंध-II

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	**2013-14**	49.81	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल,मणिपुर, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान एवं निकोबार, और पंजाब।	स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, पर्यावरण एवं स्थिरता, खेल उन्नयन, कला एवं संस्कृति का उन्नयन, सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य कार्यों के क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं । एनएचपीसी की परियोजनाओं/स्टेशनों के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	**2014-15**	65.57		
3	**2015-16**	78.25		

****

अनुबंध-III

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	**2013-14**	44.85	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्य और पश्चिम बंगाल।	स्वच्छ विद्यालय अभियान, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, खेल सुविधाओं का प्रावधान, ग्रामीण विकास के लिए परियोजना, सोलर लाइटों की संस्थापना, पुलियों का निर्माण, सामुदायिक विकास कार्य, सामुदायिक कार्यों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए अप्लसुविधा प्राप्त विद्यार्थियों को प्रायोजित करना, हैंड पंप की संस्थापना, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, वाटर टैंकों सहित बोरबेल का निर्माण, भूवैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी कार्य, जलवायु संबंधी जागरूकता पैदा करना, गांव में किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से ग्रामीण जीवन में सुधार लाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करना, युवाओं के बीच भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता फैलाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट) आईआईएफएम (में 100 केडब्ल्यूपी वाले विद्युत संयंत्रों की स्थापना, मुख्यमंत्री राहत कोष) आपदा राहत (में योगदान, निशक्त जनों का कल्याण इत्यादि। पीजीसीआईएल की परियोजनाओं/स्टेशनों के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	**2014-15**	101.57		
3	**2015-16**	115.76		

अनुबंध-IV

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	2013-14	38.40	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, गोआ, केरल, मेघालय, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, त्रिपुरा और गुजरात।	निवारक स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल को बढ़ावा देना; शिक्षा, रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल, आजीविका वृद्धि की परियोजनाओं को बढ़ावा देना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं के लिए गृह और होस्टल स्थापित करना, पर्यावरणात्मक निरंतरता सुनिश्चित करना; ग्रामीण विकास परियोजनाएं, धारणीय विकास; अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, वृद्धों और विकलांग व्यक्तियों सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना तथा अन्य सीएसआर कार्यकलाप। आरईसी की परियोजनाओं के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	2014-15	103.25		
3	2015-16	80.91		

****

अनुबंध-V

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	2013-14	**70.21**	जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उत्तर पूर्वी राज्य (07 राज्य).	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकीय; कौशल विकास; प्राकृतिक आपदा राहत; प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन; स्वच्छता; और अन्य सीएसआर गतिविधियां। पीएफसी की परियोजनाओं के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	2014-15	**301.80**		
3	2015-16	**145.79**		

****

अनुबंध-VI

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएचडीसी) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	2013-14	17.89	उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश।	स्वच्छ विद्यालय अभियान, स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक एवं सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं बच्चों की देखभाल, ग्रामीण विकास, अवसंरचना विकास, तात्कालिक अवश्यकता/राहत, पर्यावरण सुरक्षा गतिविधियां इत्यादि। टीएचडीसी की परियोजनाओं के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	2014-15	19.60		
3	2015-16	16.21		

****

अनुबंध-VII

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लि. (एसजेवीएनएल) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	2013-14	16.48 *	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र।	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल विकास, अवसंरचना एवं सामुदायिक विकास, खेलकूद एवं संस्कृति निरंतरता कार्यक्रम, स्वच्छ विद्यालय अभियान को बढ़ावा देना, प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता करना तथा अन्य विविध सीएसआर कार्यकलाप। एसजेवीएनएल की परियोजनाओं के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं। सीएसआर कार्यकलाप/कार्यक्रम विभिन्न विशेष एजेंसियों जैसे -हैलपेज इण्डिया, इण्डियन एशोसिएसन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्राफी)आईएएमडी(, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन) हिमकोन(, कंसट्रक्शन इण्डस्ट्री डेवलपमेंट कौंसिल) सीआईडीसी(, हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग आदि के जरिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
2	2014-15	25.79		
3	2015-16	30.50		

* वित्तीय वर्ष 2012 से लाई गई सीएसआर निधि से 2.79 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

****

अनुबंध-VIII

राज्यसभा के दिनांक 14.12.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) द्वारा वित्त पोषित विकास/कल्याण स्कीमों का ब्यौरा।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत आबंटित / संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	स्थान	की गई गतिविधियाँ और लाभार्थी
1	2013-14	5.51	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका परियोजना प्रशिक्षण जानकारी एवं प्रौद्योगिकीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक अवसंरचना विकास, वृद्धाश्रमों का निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण, गाँवों में रिंग वैल तथा वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रकचर) पेयजल के लिए (का निर्माण, प्राइमरी स्कूलों के लिए जल आपूर्ति योजना का निर्माण, फैरी से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए बोटों का दान, बाढ़ संरक्षण कार्य, स्वच्छ विद्यालय अभियान, सामुदायिक हॉल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यकलाप, मंदिर परिसर की साफ-सफाई रखने के लिए कामाख्या मंदिर प्रबंधन को सहायता, सौर एलईडी लाइट आदि। नीपको की परियोजनाओं के पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोग और राज्यों के लोग भी, विशेषतया वे लोग जो नीचे के स्तर पर हैं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के लाभार्थी हैं।
2	2014-15	6.71		
3	2015-16	2.07		

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1692

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत (संशोधन) विधेयक का विरोध

1692. श्री ए. के. सेल्वाराजः
श्री टी. रतिनावेलः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 को लेकर पहले से ही कुछ राज्य सरकार नाराज है क्योंकि इसका भारतीय विद्युत क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के बाद 19.12.2014 को विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात यह विधेयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था। ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति ने राज्य सरकारों सहित विभिन्न पणधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद 7.5.2015 को लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तावित संशोधनों में कैरिज और कंटेंट के पृथक्करण, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधानों, प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया के युक्तिकरण तथा ग्रिड सुरक्षा और संरक्षा आदि के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से विद्युत की खुदरा आपूर्ति में प्रतिस्पर्द्धा की परिकल्पना की गई है।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 संबंधी समिति के अवलोकनों/सिफारिशों और अन्य विचार-विमर्श के आधार पर विद्युत (संशोधन) विधेयक के संबंध में अन्य अधिकारिक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। कैरिज और कन्टेंट में पृथक्करण के प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई प्रमुख चिन्ताओं पर राज्यों को पर्याप्त लचीलेपन के साथ क्रमिक रूप में इसे कार्यान्वित करने का विकल्प देकर समाधान किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1693

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा कोयला उत्पादन

1693. डॉ. के.पी. रामालिंगमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी का अपनी कोयला संबंधी आवश्यकता के लिए इस वर्ष से झारखंड की खानों से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है;

(ख) क्या तीन और कोयला ब्लॉकों से उत्पादन अगले दो वर्षों में शुरू हो सकता है;

(ग) क्या एनटीपीसी जल्द ही अपने कोयला ब्लॉकों के लिए खान विकासक तथा संचालक नियुक्त करेगा; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी**,** नहीं।

(ख): जी**,** नहीं।

(ग) और (घ) : पाकरी-बरवाडीह कोयला ब्लॉक के लिए खान विकासकर्ता-सह-प्रचालक (एमडीओ) 30.09.2015 को नियुक्त कि**या** जा चु**का** है। एनटीपीसी के चार अन्य कोयला ब्लॉकों अर्थात् डुलंगा**,** चट्टी-बरियातु**,** तलाईपल्ली एवं केरंदारी के लिए एमडीओ की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1694

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है ।

निजी बिजली उत्पादन-कर्ताओं द्वारा उच्चतर टैरिफ की मांग

1694. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी बिजली उत्पादन-कर्ताओं ने उच्चतर टैरिफ की मांग की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, निम्नलिखित निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं ने इंडोनेशिया सरकार द्वारा कोयला मूल्य निर्धारण विनियम में परिवर्तन और अन्तरराष्ट्रीय कोयला मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव के कारण संबंधित पीपीए के प्रावधानों के अंतर्गत कानून में परिवर्तन और अनिवार्य बाध्यता के अंतर्गत राहत मांगने के लिए आयोग से संपर्क किया है:-

1. जीएमआर-कमलांगा एनर्जी लिमिटेड
2. अदानी पावर लिमिटेड
3. टाटा पावर लिमिटेड
4. एम्को एनर्जी लिमिटेड
5. सासन पावर लिमिटेड

उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय आयोग ने याचिका संख्या 155/एमपी/2012 और याचिका संख्या 159/एमपी/2012 में अपने दिनांक 21.02.2014 के आदेश में प्रशुल्क में इंडोनेशिया सरकार द्वारा नए कोयला मूल्य निर्धारण विनियम के अधिनियमन के कारण आयातित कोयले के मूल्य में वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, पीपीए के अंतर्गत निराशा और/अथवा अनिवार्य बाध्यता के घटित होने और/अथवा कानूनी परिवर्तनों के लिए, पीपीए में सहमत प्रशुल्क के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया था। सीईआरसी के इस आदेश को एपटेल (APTEL) के समक्ष चुनौती दी गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के समक्ष भी कानून में परिवर्तन के अंतर्गत प्रशुल्क में परिशोधन के लिए कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क के विनियमन का अधिकार उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों को है। इस संबंध में भारत सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

****